बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट, सूचकांक 304 अंक टूटा

मुंबई, 5 जनवरी (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई और बिकवाली दबाव से बीएसई सूचकांक 304 अंक से अधिक के नुकसान में रहा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे से इस साल नीतिगत दर में और वृद्धि के संकेत से कारोबारियों ने जोखिम वाली संपत्तियों में निवेश घटाया है। बाजार प्रतिभागियों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से बिकवाली दबाव बढ़ा।

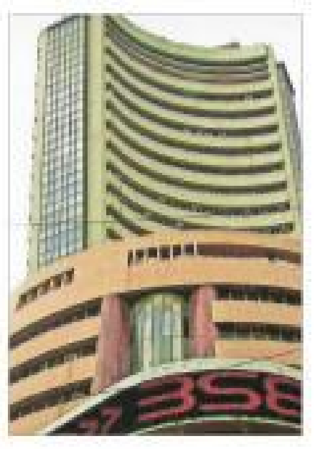

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और 304.18 अंक यानी 0.50 फीसद की गिरावट के साथ 60,353.27 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50.80 अंक यानी 0.28 फीसद की गिरावट के साथ 17,992.15 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा 7.21 फीसद नीचे आया। नुकसान में रहने वाले अन्य शेयरों में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, पावरग्रिड, टाइटन, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और टेक महिंद्रा शामिल हैं। दूसरी तरफ आईटीसी, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, सन फार्मा और टाटा स्टील प्रमुख रूप से लाभ में रहे। सूचकांक के 30 शेयरों में से 18 नुकसान में जबकि 12 लाभ में रहे।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर निवेशक 'फेडरल ओपन मार्केट कमेटी' (एफओएमसी) के ब्योरे के असर को समझ रहे हैं। एफओएमसी के ब्योरे के साथ शेयर बाजारों में गिरावट रही। इसका कारण महंगाई को काबू में लाने के लिए नीतिगत दर के स्तर पर आक्रामक रुख का संकेत है।

मंदी की आशंका से मार्च तिमाही में प्रभावित होंगी भर्ती की गतिविधियां

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

भारत में कारपोरेट कंपनियां 2022- 23 की मार्च तिमाही में भर्तियों को लेकर सतर्क रुख अपना सकती हैं। गुरुवार को जारी एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मंदी की आशंका और मुद्रास्फीति के स्तर को लेकर चिंता बढ़ी है। यह सर्वे लगभग 3,030 सार्वजनिक और निजी नियोक्ताओं के बीच किया गया।

मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार, सालाना और तिमाही आधार पर नियुक्ति के इरादे मार्च तिमाही में घटेंगे। इस दौरान शुद्ध रोजगार परिदृश्य केवल 32 फीसद रहने की संभावना है। सर्वेक्षण के मुताबिक इस साल जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान 48 फीसद कंपनियां नियुक्ति स्तर में वृद्धि कर सकती हैं, 16 फीसद ने कम नियुक्तियां करने का इरादा जताया, जबकि 34 फीसद ने यथास्थिति बने रहने की बात कही।

मैनपावर ग्रुप इंडिया के प्रबंध निदेशक संदीप गुलाटी ने कहा कि नियोक्ता मंदी की आशंका और वैश्विक स्तर पर गहराती नरमी के चलते सतर्क हैं। पिछली तिमाही के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उथल-पुथल की वजह भी यही थी।

मैनपावर ग्रुप के चेयरमैन व मुख्य कार्यपालक अधिकारी जोनास प्राइसिंग ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अर्थशास्त्रियों ने जिन प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुमान जताया था उन्होंने रोजगार बाजारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

बीएसएनएल की 5जी सेवाएं 2024 में होंगी शुरू : अश्विनी वैष्णव

भुवनेश्वर, 5 जनवरी (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल 2024 में 5जी सेवाएं शुरू करेगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह कहा। बीएसएनएल ने 4जी नेटवर्क शुरू करने के लिए टीसीएस और सी-डाट के नेतृत्व वाले परिसंघ को चुना है, जिसे अनुबंध के तहत आर्डर देने के लगभग एक साल के भीतर 5जी में बदला जाएगा।

वैष्णव ने ओडीशा में जियो और एअरटेल की 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम से इतर कहा कि बीएसएनएल 2024 में 5जी सेवाएं शुरू करेगा। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि पूरे ओडीशा में दो साल के भीतर 5जी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-19, Jalandhar

State Bank Of India
Vs
Chimna Ram

CNR NO: PBJL03-014499-2021

Next date: 10-02-2023

NACT/4092/2021

Publication Issued To: Chimna Ram R/o Village Bass Tiloka Po Birme Tehsil Bissau Distt Jhunkhunu Rajasthan

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 10-02-2023 at 10:00 a.m for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar

JMIC-19, Jalandhar

'महंगाई घटने से 2023 में भी जारी रहेगी घरों की बिक्री की रफ्तार'

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

देश में मुद्रास्फीति में कमी की संभावना और बिल्डरों से बेहतर मूल्य पर सौदों के कारण इस साल भी घरों की बिक्री में तेजी रहने की उम्मीद है। संपत्ति सलाहकार जेएलएल इंडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी है।

जेएलएल इंडिया ने बयान में कहा कि पिछले साल सात प्रमुख शहरों- मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 68 फीसद बढ़ कर 2,15,666 इकाई रही। 2021 में 1,28,064 आवासीय इकाइयां बिकी थीं। मुंबई में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहर और नवी मुंबई शामिल हैं। जेएलएल के अनुसार, पिछले साल घरों की बिक्री एक दशक में सबसे अधिक रही। हालांकि, यह वर्ष 2010 में 2,16,762 इकाइयों की रिकार्ड बिक्री से थोड़ा नीचे है। जेएलएल द्वारा जारी आंकड़ों में केवल अपार्टमेंट की बिक्री शामिल हैं। रोहाउस, विला और प्लाट की बिक्री के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। जेएलएल इंडिया ने बिक्री के परिदृश्य पर कहा कि 2023 में मुद्रास्फीति के नीचे आने के साथ रेपो दर में वृद्धि का सिलसिला पलटेगा। इससे घरों की बिक्री में तेजी जारी रहेगी।

हरित ऊर्जा संसाधन को बढ़ावा देने के लिए जल्द दिशानिर्देश लाएगी सरकार : सिंह

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को कहा कि देश को हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उनका मंत्रालय जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश और मानक लेकर आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 19,744 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी के एक दिन बाद उन्होंने यह बात कही।

सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम इस पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे। इस मिशन के जरिए अगले पांच साल में सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य के साथ हाइड्रोजन से जुड़े क्षेत्रों में आठ लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। मिशन के तहत उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का मकसद हरित हाइड्रोजन की लागत में कमी लाना है।

उन्होंने कहा कि हमने निर्णय किया है कि इलेक्ट्रोलाइजर का विनिर्माण भारत में हो सकता है। इसीलिए हमने इसके घरेलू स्तर पर विनिर्माण को लेकर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर काम किया है। इसके अंतर्गत 15,000 मेगावाट क्षमता का विनिर्माण आएगा। लेकिन हमें, उम्मीद है कि क्षेत्र में 2030 तक करीब 60,000 मेगावाट की क्षमता स्थापित होगी। सिंह ने कहा कि यह (60,000 मेगावाट) इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता होगी। इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग हाइड्रोजन उत्पादन में किया जाता है।

इसका उत्पादन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के जरिए पानी को आक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर किया जाता है। मंत्री ने कहा कि हम उस तारीख की घोषणा करेंगे।

> *मिशन* के तहत उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों का मकसद हरित ऊर्जा की लागत में कमी लाना है।

भारत में बुनियादी ढांचा के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत : जयशंकर

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)। भारत में सभी पक्षों के हितों की रक्षा के लिए अलग से बुनियादी ढांचा कानून बनाने की जरूरत है। आइआइएफसीएल के प्रबंध निदेशक पीआर जयशंकर ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा।

रुपया 32 पैसे की तेजी के साथ 82.50 प्रति डालर पर

मुंबई, 5 जनवरी (भाषा)।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया गुरुवार को 32 पैसे की मजबूती के साथ 82.50 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हुआ। इस तेजी का कारण विदेशों में डालर का कमजोर होना है। बाजार सूत्रों ने कहा कि एशियाई मुद्राओं के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों के 80 डालर प्रति बैरल से नीचे आने से रुपए को समर्थन मिला। हालांकि, विदेशी पूंजी की बाजार से निकासी व घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण निवेशकों की कारोबारी धारणा कुछ हद तक प्रभावित हुई।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.75 के स्तर पर खुला और कारोबार के अंत में 32 पैसे की तेजी के साथ 82.50 प्रति डालर पर बंद हुआ।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुम्बई-400051
शाखा कार्यालय : 7वीं मंजिल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं प्रवर्तन के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदार(रों) से भुगतान की वास्तविक तिथि तक कथित सूचना में उल्लिखित राशि सहित समस्त लागतों, प्रभारों तथा व्ययों का भुगतान इसकी प्राप्ति की तिथि से से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/सह-कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में संलग्न तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा नीचे उल्लिखित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार उसमें निर्दिष्ट राशि तथा भावी ब्याज, लागतों एवं प्रभारों के लिए सम्बद्ध तिथियों से कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के तहत आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदारों, अनुसूचित सम्पत्ति, बकाया देयताओं, 13(2) के तहत माँग सूचनाएँ तथा उसके तहत दावाकृत राशि, कब्जा करने की तिथि का विवरण निम्नलिखित हैं :

कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम तथा पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. कब्जा करने की तिथि 2. कब्जे का प्रकार 3. माँग सूचना की तिथि 4. बकाया राशि रु. में
मैसर्स शाह इंटरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर श्री असलम अहमद के माध्यम सेः मकान नं. 15/15, मोहल्ला काजी पारा जयगंज, अलीगढ़ - 202001 असलम अहमद पुत्र आफताब अहमद और श्रीमती फरजाना असलम सभी निवासीः फ्लैट नंबर एफ-2, पहली मंजिल अलीना अपार्टमेंट, रॉयल अपार्टमेंट के पास, केला नगर, मौजा बेगपुर कंजौला परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़- 202001. ऋण खाता संख्याः 586B LS0103290195 स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 10,25,000/- (रुपये दस लाख पच्चीस हजार मात्र)।	संपत्ति फ्लैट नंबर एफ-2, पहली मंजिल का समस्त भाग, क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर, ''अलीना अपार्टमेंट'' केला नगर मौजा बेगपुर, कंजौला परगना और तहसील - कोइल और जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश - 22001. सीमाः उत्तरः अन्य व्यक्ति की संपत्ति, पूर्वः 16' चौड़ी सड़क, पश्चिमः आम मार्ग और सीढ़ी, दक्षिणः फ्लैट नंबर एफ-1। बंधककर्ता का नामः श्री असलम अहमद पुत्र श्री आफताब अहमद।	1. 04.01.2023 2 . सांकेतिक कब्जा 3. 08.08.2022 4. रु. 11,51,460/- (रुपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार चार सौ साठ मात्र) 08.08.2022 तक देय एवं बकाया तथा 09.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज
मैसर्स मुस्कान बैंगल स्टोर इसके प्रोपराइटर श्री मोहम्मद रिहान के माध्यम से, पताः अमीर निशा दोधपुर चौराहा अशरफी मार्केट बेसमेंट, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001 एवं श्री मोहम्मद रिहान पुत्र श्री चुन्ना सिद्दीकी और श्रीमती फिरदौस जफरुद्दीन पत्नी श्री मोहम्मद रिहान और श्री इकबाल सिद्दीकी सभी निवासीः मकान नंबर 41/4 गली नंबर 2 रजा नगर ओरसी, नसरुद्दीन सीमेंट एजेंसी के पास, जीवनगढ़ की पुलिया , परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 ऋण खाता संख्याः 586BLSEE543551 स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 13,31,000/- (रुपये तेरह लाख इकतीस हजार मात्र)।	100. वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर के मकान का समस्त भाग, खसरा नंबर 51 का हिस्सा, मकान नंबर 41/4, गली नंबर -2, रजा नगर क्वार्सी, बेगपुर कंजोला परगना और तहसील - कोइल जिला अलीगढ़ पिनकोड - 202001, जीवनगढ़ पुलिया के पास। सीमाएंः उत्तरः अन्य का घर, पूर्वः मुन्ना का घर, पश्चिमः 12, चौड़ी सड़क, दक्षिणः 12, चौड़ी सड़क। बंधककर्ता का नामः श्री मोहम्मद रिहान पुत्र श्री चुन्ना सिद्दीकी।	1. 04.01.2023 2 . सांकेतिक कब्जा 3. 08.08.2022 4. रु. 16,29,652/- (रुपये सोलह लाख उनतीस हजार छः सौ बावन मात्र) 08.08.2022 तक देय एवं बकाया तथा 09.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज
मैसर्स एनके इंडस्ट्रीज इसके प्रोपराइटर श्री नदीम खालिक के माध्यम से, पताः मुल्ला पारा भुजपुरा परगना और कोइल, अलीगढ़, यूपी- 202001। नदीम खालिक और श्रीमती शानाज नाज़िया पत्नी नदीम खालिक दोनों निवासीः हाउस नंबर 17/448, ए गली नंबर -1, मुल्ला पारा भुजपुरा कोइल, अलीगढ़, यूपी- 202001 और साथ ही दोनों निवासीः हाउस नंबर 17/256, ठाकुर वाली गली, प्राइमरी स्कूल के पास, मुल्लापाड़ा भुजपुरा, अंदर आबादी, परगना और कोइल, अलीगढ़, यूपी- 202001.1। ऋण खाता संख्याः 586BLS0103040440 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 10,25,000/- (रुपये दस लाख पच्चीस हजार मात्र)।	हाउस नंबर 17/256 के 1/5 हिस्से का समस्त भाग, क्षेत्रफल 124 वर्ग गज या 103.67 वर्ग मीटर मौजा मुल्लापाड़ा, भुजपुरा, अंदर आबादी, परगना और तहसील - कोइल और जिला अलीगढ़, प्राथमिक विद्यालय के पास में स्थित। सीमाएँः पूर्वः 16'-6" और 9'-6" चौड़ी सड़क, पश्चिमः बालकिशन का घर, उत्तरः दुर्जन सिंह का घर, दक्षिणः दाऊजी राम का घर। बंधककर्ता का नामः श्रीमती शहनाज नजिया पत्नी श्री नदीम खालिक।	1. 04.01.2023 2 . सांकेतिक कब्जा 3. 08.08.2022 4. रु. 11,59,008/- (रुपये ग्यारह लाख उनसठ हजार आठ मात्र) 08.08.2022 तक देय एवं बकाया तथा 09.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज
श्रीमती यशोदा देवी (स्वर्गीय श्री राज बहादुर राणा के कानूनी उत्तराधिकारी) और श्रीमती यशोदा देवी (स्वर्गीय श्री राज बहादुर राणा के सह-कर्जदार कानूनी उत्तराधिकारी) दोनों निवासीः 19/261 ए डी ए बैंक कॉलोनी के पास, पाला रोड आदर्श नगर, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़ - 202001 और मैसर्स पुण्य ट्रेडर्स (इसके कानूनी माध्यम से) स्वर्गीय श्री राज बहादुर राणा के वारिस) पताः वाया पी.टी.ओ. अरिहंत कॉम्प्लेक्स मोहल्ला कृष्णा पुरी जैन पुरी अलीगढ़ - 202001. साथ ही सभी निवासी : म.नं. 19/154 खेत संख्या - 98/1 का हिस्सा पाला साहिबाबाद परगना और तहसील कोइल, चंद्रावती अस्पताल / सरस्वती स्कूल के पास, जिला अलीगढ़ - 202001 ऋण खाता संख्याः 586BLSFA477101 स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 12,25,000/- (रुपये बारह लाख पच्चीस हजार मात्र)।	हाउस नंबर 19/154 का समस्त भाग, खेत नंबर - 98/1 का हिस्सा, पाला साहिबाबाद, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ - 202001, माप 104.56 वर्ग मीटर। सीमाएंः उत्तरः रेखा गुप्ता का घर, पूर्वः 24' फीट चौड़ी रोड, पश्चिमः कमल उपाध्याय का घर, दक्षिणः मोहन सिंह का घर। बंधककर्ता का नामः श्री राज बहादुर राणा पुत्र स्वर्गीय नृसिंहपाल सिंह।	1. 04.01.2023 2. सांकेतिक कब्जा 3. 29.08.2022 4. रु. 13,10,994/- (रुपये तेरह लाख दस हजार नौ सौ चौरानबे मात्र) 29.08.2022 तक देय एवं बकाया तथा 30.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज
अल-सेहत मेडिकल स्टोर इसके प्रोपराइटर श्री मोहम्मद यूसुफ के माध्यम सेः दोधपुर चौराहा दोधपुर, परगना और तहसील कोइल, पी.एस. सिविल लाइंस, जिला अलीगढ़ - 202001 और श्री मोहम्मद यूसुफ पुत्र श्री मो. यूनुस और श्री समरा खान पुत्र श्री मोहम्मद यूसुफ और अल-सेहत मेडिकल स्टोर इसके प्रोपराइटर श्री मोहम्मद यूसुफ के माध्यम से, पताः बीबी बिल्डिंग, अमीर निशान रोड, पी.एस. सिविल लाइंस, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश - 202001। सभी साथ हीः मकान नं. 4/1488, बैतूल अबरार हाउस, अकबर मार्केट के सामने, मेडिकल रोड, दोधपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ -202001 अकबर गेस्ट हाउस / यूनियन बैंक के पास। ऋण खाता संख्याः 586BLSEI433388 स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 7,18,001/- (रुपये सात लाख अठारह हजार एक मात्र)।	150 वर्ग गज =125.41 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले घर का समस्त भाग, खेत खसरा नंबर 292/2,293/1, 297/2, 298/1/2 का भाग, मौजा दोधपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ 202001. सीमाएं - पूर्वः तस्नीम रियाज की संपत्ति, पश्चिमः मोहम्मद शफीक की संपत्ति, उत्तरः 19' चौड़ी सड़क, दक्षिणः अन्य व्यक्ति का मकान। बंधककर्ता का नामः श्री मोहम्मद यूसुफ पुत्र श्री मो. यूनुस।	1. 04.01.2023 2. सांकेतिक कब्जा 3. 26.07.2022 4. रु. 9,26,896/- (रुपये नौ लाख छब्बीस हजार आठ सौ छियानबे मात्र) 26.07.2022 तक देय एवं बकाया तथा 27.07.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज
श्री प्रहलाद सिंह पुत्र ईश्वर सिंह एवं श्रीमती नीता देवी पत्नी प्रहलाद सिंह दोनों निवासीः फ्लैट नंबर 389, ब्लॉक-एम2, पॉकेट-1, डीडीए फ्लैट्स, सेक्टर-ए-9, नरेला, दिल्ली - 110040 और दोनों निवासीः आवासीय भवन मुस्तत्तिल और किला नंबर 52// 13,8/2,9.11 मिन, गली नंबर 1, सरस्वती विहार कॉलोनी के पास पानी की टंकी सोनीपत, हरियाणा - 131001 और दोनों का पताः प्लॉट नंबर 933, पहली मंजिल, ब्लॉक- जी, डीएसआईडीसी, नरेला, दिल्ली - 110040 और श्री प्रहलाद सिंह पुत्र ईश्वर सिंहः सरस्वती विहार, महलाना रोड सोनीपत, हरियाणा - 131001। ऋण खाता संख्याः 514BLSET273732 स्वीकृत ऋण राशिः रुपये 14,21,259/- (रुपये चौदह लाख इक्कीस हजार दो सौ उनसठ मात्र)।	संपत्ति आवासीय मकान माप 6 मरला अर्थात 166 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, रेक्ट और किला नंबर 52//13, 8/2,9,11 मिन, गढ़ी ब्राह्मणन के राजस्व एस्टेट के भीतर, सरस्वती विहार कॉलोनी, सोनीपत की आबादी के भीतर और एम.सी. लिमिट, सोनीपत, हरियाणा में स्थित, और सीमाएंः पूर्वः गली रास्ता सरे आम, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर : देवक राम की भूमि, दक्षिण : सरकारी डहना। बंधककर्ता का नामः श्री प्रह्लाद सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह	1. 03.01.2023 2. सांकेतिक कब्जा 3. 26.08.2022 4. रु. 16,63,812/- (रुपये सोलह लाख तिरेसठ हजार आठ सौ बारह मात्र) 25.08.2022 तक देय एवं बकाया तथा 26.08.2022 से पूर्ण भुगतान तक ब्याज

तिथि : 06.01.2023
स्थान : अलीगढ़/सोनीपत

कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
अधिकृत प्राधिकारी

कृपया किसी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री सोमेश सुन्दरियाल (+91 9910563402), तथा श्री सुमित कुमार सिन्हा (+91 9810616493) तथा श्री मनीष सती (+91 9855078208)

परिसम्पत्तियों की ऑन लाइन ई-नीलामी बिक्री

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा(ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051
शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 7, 7 वाँ तल, सेक्टर-125, नोएडा, उ.प्र.-201313

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8 (5) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका बजाज हाउसिंग फाइनांस लि. द्वारा उसके पक्ष में ऋण के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में 16.09.2021 को कोटक महिन्द्रा बैंक ''बैंक'' के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है की, श्री कुणाल शर्मा एवं श्रीमती पूजा शर्मा से कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये ऋण खाता सं. **401HFP63928077, 401TSH63699869, 401HSL63699826** के अंतर्गत उसकी वसूली तक लागू ब्याज के साथ 03.01.2023 को रु. 37,37,900/- (रु. सैंतीस लाख सैंतीस हजार नौ सौ मात्र) की वसूली के लिये प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 31.01.2023 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक ''जैसा है जहाँ है'' तथा ''जो भी जैसा है'', '' जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 2000000/- (रु. बीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि रु. 200000/-(रु. दो लाख मात्र) होगी। केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 30.01.2023 के 7.00 बजे अप. (आईएसटी) है।

सम्पत्ति का विवरणः ग्राम शाहपुर बमहेटा, एनएच 24, गाजियाबाद, उ.प्र. 201002 में 'एबोनी ग्रीन्स', ''क्रेसेन्ट पार्क'' में बिल्डिंग सी-01, में टाइप 2 बीएचके में 4थे तल, सुपर एरिया माप 96.01 वर्ग मी. पर फ्लैट नं. सी010405 का सभी भाग तथा हिस्सा। पूर्वः खुला क्षेत्र, पश्चिमः फ्लैट नं. 404, उत्तरः खुला क्षेत्र, दक्षिणः फ्लैट नं. 406।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक यह ध्यान रखें कि यदि किसी भी कारण से निर्धारित नीलामी विफल होती है तो प्रतिभूत क्रेडीटर निजी संधि द्वारा बिक्री द्वारा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तित करेंगे। बिक्री के अधीन परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिये बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608), श्री सुमित सिंन्हा (+91 9810616493), श्री सोमेश सुन्द्रियाल (+91 9910563402), श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436) एवं श्री राजेन्द्र दहिया (+91 8448264515) से सम्पर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये लिंक **https://www.kotak.com/em/Bank-auctions.html** कोटक महिन्द्रा बैंक की वेबसाईट अर्थात **www.kotak.com** में दी गई अथवा **https://Bankauctions.in/** देखें।

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 06.01.2023

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd
(Sponsor: CANARA BANK)
HOME LOANS • DEPOSITS
Translating Dreams into Reality

एससीओ 34 एवं 35, प्रथम तल, कैनरा बैंक के ऊपर,
सेक्टर 10ए, गुड़गाँव, फोनः Ph.: 0124-2370035, 7625079135
ईमेलः gurgaon@canfinhomes.com
CIN : L85110KA1987PLC008699

कब्जा सूचना [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **02.11.2022** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्रीमती अतिथि हाण्डा** एवं **श्री ऋषि कुमार हाण्डा** से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि **रु.30,93,842/-** और **02.11.2022** से अब तक का ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **4 जनवरी 2023** को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, गारंटर/रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड की बकाया राशि **रु.30,93,842/-** और उस पर आगे ब्याज व अन्य शुल्क प्रभाराधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट सं-2, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट सं. 1359 गली सं. 10 खसरा सं-32/20/2, लक्ष्मण विहार गुरुग्राम क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट।

चौहद्दी निम्नानुसारः **उत्तरः** रास्ता एवं फ्लैट सं. 001 **दक्षिणः** मकान सं. 1360 **पूर्वः** रोड, **पश्चिमः** अन्य सम्पत्ति

तिथिः 05.01.2023
स्थानः गुरुग्राम

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी,
केन फिन होम्स लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

कैंट शाखा, मेरठ (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक, मेरठ कैंट)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता/जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोलम में सूचना में उल्लिखित रकम को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनसंदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक माँग देय सूचना दिनांक को जारी किया।

उधारकर्ता/ जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से सांकेतीक कब्जा कर लिया है।

ऋणी / जमानती को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतदद्वारा सम्पत्ति से संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई संव्यवहार **इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक)** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
1. सुश्री राम कुमारी पुत्री श्री बैकुंठ नाथ शर्मा (ऋणकर्ता और बंधककर्ता) पताः (i) 31, शीश महल, मेरठ, यू.पी. 250001, (ii) 37/38 शीश महल, मेरठ, यू.पी. 250001, (iii) 129 जॉर्ज स्ट्रीट, मेरठ कैंट, मेरठ, यू.पी. 250001. 2. श्री महेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बैकुंठ नाथ शर्मा (ऋणकर्ता) पताः (i) सी टाइप, बी-58, कोरल स्प्रिंग्स, किला परक्षितगढ़ रोड, मेरठ, यू.पी. 250001, (ii) 31, शीश महल, बुढाना गेट, मेरठ, यू.पी. 250001, (iii) 393, मालवीय चौक, मेरठ, यू.पी. 250002. 3. श्रीमती रीना शर्मा पत्नी श्री. महेंद्र कुमार शर्मा (ऋणकर्ता) पताः (i) सी टाइप, बी-58, कोरल स्प्रिंग्स, किला परक्षितगढ़ रोड, मेरठ, यू.पी. 250001, (ii) 31, शीश महल, बुढाना गेट, मेरठ, यू.पी. 250001, (iii) 393, मालवीय चौक, मेरठ, यू.पी. 250002. 4. श्री चंद्र मोहन त्रिवेदी पुत्र श्री राम शंकर त्रिवेदी (गारंटर) निवासी 129, जॉर्ज स्ट्रीट, मेरठ कैंट, मेरठ, यू.पी. 250001. 5. मोहम्मद हारून पुत्र श्री बशीर (गारंटर) निवासी मकान नं. 415 सिवाया, जमाउल्लापुर, पी.ओ. मोदीपुरम, मेरठ, यू.पी. 250002	एक आवासीय मकान नंबर बी-58, खसरा संख्या 407 स्थित ग्राम अब्दुल्लापुर वर्तमान में कोरल स्प्रिंग कॉलोनी, किला परक्षितगढ़ रोड, मेरठ कहा जाता है, भूमि का क्षेत्रफल 150.94 वर्ग मीटर और सीमायें:-पूर्वः प्लॉट नंबर बी -75, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नंबर बी -57, दक्षिणः प्लॉट नंबर बी-59. मालिक/ शीर्षक धारकः श्रीमती राम कुमारी पुत्री श्री बैकुंठ नाथ शर्मा।	13.07.2022 कब्जा नोटिस की तारीख 31.12.2022	रू 14,02,656.00 + ब्याज + अन्य खर्चे

दिनांक- 05.01.2023 स्थान -मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN- U64202DL2000GOI107905

निविदा संख्याः आरसीआईएल_पू.क्षे._2022-23_1444,
दिनांकः 05.01.2023

रेलटेल / पूर्वी क्षेत्र " भागलपुर सेक्शन में ओएफसी नेटवर्क और संबंधित गियर के रखरखाव के लिए अनुरक्षण दल की तैनाती" के काम के लिए पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है। निविदा सूचना/ निविदा दस्तावेज www.railtelindia.com, https://eprocure.gov.in और https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट / शुद्धिपत्र आदि रेलटेल वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और आईआरईपीएस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बोलीदाताओं को अपनी बोली केवल आईआरईपीएस पोर्टल पर जमा करनी होगी।

पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग लिमिटेड विदित)
कॉर्पोरेट कार्यालयः 602, 6ठा तल, जीरो वन आईटी पार्क,
क्रम सं. 79/1, घोरपाडी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''उक्त अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 04 जनवरी, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि	सांविधिक मांग सूचना तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	राकेश सोनी, बिरजेश देवी, जयवीर	मोहल्ला ठकुरान, कस्बा दादरी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय प्लाट नं. अनिर्दिष्ट, भूमि माप 52 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 619 की गिरवी सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। उक्त सम्पत्ति की भूमि/फ्लैट/प्लॉट की चौहद्दीः पूर्वः मलखान सिंह का प्लॉट, पश्चिमः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः छम्मो बेगम का प्लॉट।	04.01.2023	18.04.2022	ऋण सं. एचएम/0245/एच/16/100117 रु. 644803.92/- (रु. छः लाख चौवालिस हजार आठ सौ तीन पैसे बानवे मात्र) 18 अप्रैल, 22 को बकाया एवं देय के साथ वसूली तक 14.8 पी.ए. की दर से ब्याज
2.	राकेश सोनी, बिरजेश देवी, जयवीर	मोहल्ला ठकुरान, कस्बा दादरी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय प्लाट नं. अनिर्दिष्ट, भूमि माप 52 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 619 की गिरवी सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। उक्त सम्पत्ति की भूमि/फ्लैट/प्लॉट की चौहद्दीः पूर्वः मलखान सिंह का प्लॉट, पश्चिमः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः छम्मो बेगम का प्लॉट।	04.01.2023	18.04.2022	ऋण सं. एचएम/0245/एच/16/100084 रु. 665137.09/- (रु. छ. लाख पैंसठ हजार एक सौ सैंतीस पैसे नौ मात्र) 18 अप्रैल, 22 को बकाया एवं देय के साथ वसूली तक 14.8 पी.ए. की दर से ब्याज

स्थानः गौतमबुध नगर
तिथिः 06.01.2023

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड विदित)

इन्टेक कैपिटल लि.

पंजी. कार्यालयः 708, मंजूशा बिल्डिंग, 57, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

परिशिष्ट IV [नियम 8(2) देखें] कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत इन्टेक कैपिटल लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.8.2022 जारी कर ऋणधारक अर्थकॉन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.लि. (ऋणधारक) द्वारा उसके निदेशकों, शादाब खान (सह-ऋणधारक/निदेशक/मार्टगैजर), तनवीर क्युवैद (सह-ऋणधारक/निदेशक), मनूसा परवीण (गारंटर), मोह. शोहैब (निदेशक) तथा नवेद अहमद (निदेशक) को ऋण अनुबंध सं. एलएनएनओआई 03415-160006074 तिथि 6.10.2015 के लिये उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु 1,37,20,080/- (रु. एक करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार अस्सी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मार्टगैजर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक 4 जनवरी 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 15.8.2022 को रु. 1,37,20,080/- (रु. एक करोड़ सैंतीस लाख बीस हजार अस्सी मात्र) तथा सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर ब्याज एवं खर्चे के लिये इन्टेक कैपिटल लि., 708, मंजूशा बिल्डिंग, 57, नेहरु प्लेस, दिल्ली-110019 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अनुसूची-1
गिरवी परिसम्पत्तियों की सूची

सीएएसए ग्रैण्डे-1, फ्लैट नं. बी-104, बी-307, बी-404, बी-505, बी-1105, बी-1106, बी-1401, सी-206, सी-204, सी-207, प्लॉट नं. जीएच-07ए, सेक्टर सीएचआई-V, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201310

तिथिः 04.01.2023
स्थानः ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

प्राधिकृत अधिकारी
इन्टेक कैपिटल लि

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate Together We Can

सी-34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,
मूलचंद अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, दिल्ली - 110024,
ई-मेलः cb19208@canarabank.com
फोन नं. 011-79676467

बिक्री सचूना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को एवं विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, **मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज़** से केनरा बैंक, एसएएम शाखा को दिनांक 01.07.2018 से भविष्य का ब्याज एवं लागत, इत्यादि रु. 6,67,74,282.24 (रु. छ करोड़ सडसठ लाख चौहत्तर हजार दो सौ ब्यासी और पैसे चौबीस मात्र) की वसूली हेतु बिक्री को "जहां है जैसी है", "जो है क्या है" और जैसी है" के आधार पर दिनांक 13.02.2023 को बेचा जाएगा। अब तक की गई वसूली घटाकर

बोली के समय जमा की जाने वाली अचल संपत्ति का विवरण और आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि के साथ पूर्ण विवरण (बैंक की जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई ज्ञात भार नहीं है।)

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति	आरक्षित मूल्य (रु. में)	जमा धरोहर राशि (रु. में)
1.	औद्योगिक भूमि एवं भवन, प्लॉट नं. के-117, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, फेज-VII फोकल प्वाइंट, शारू स्टील के पास, लुधियाना में स्थित, यह सम्पत्ति पट्टे पर मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज द्वारा (प्रोप. श्री विकास लिखी पुत्र स्वर्गीय श्री राजबीर लिखी) के नाम पर है। **(यह संपत्ति क्र.सं. 2 की संपत्ति के साथ बेची जाएगी)**	सांकेतिक कब्जा	रु. **58,87,000/-**	रु. **5,88,700/-**
2.	औद्योगिक भूमि एवं भवन, प्लॉट नं. के-118, क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, फेज-VII फोकल प्वाइंट, शारू स्टील के पास, लुधियाना में स्थित, यह सम्पत्ति पट्टे पर मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज द्वारा (प्रोप. श्री विकास लिखी पुत्र स्वर्गीय श्री राजबीर लिखी) के नाम पर है। **(यह संपत्ति क्र.सं. 1 की संपत्ति के साथ बेची जाएगी)**	सांकेतिक कब्जा	रु. **63,00,000/-**	रु. **6,30,000/-**
3.	औद्योगिक भूमि एवं भवन, प्लॉट नं. ई-745, क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज, फेज-VIII फोकल प्वाइंट, लुधियाना में स्थित, यह सम्पत्ति पट्टे पर मैसर्स विकास इंडस्ट्रीज द्वारा (प्रोप. श्री विकास लिखी पुत्र स्वर्गीय श्री राजबीर लिखी) के नाम पर है।	सांकेतिक कब्जा	रु. **2,38,81,000/-**	रु. **23,88,100/-**
4.	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति नं. एम सी नं. B-/XXXIV/11131 (B-/34/11131) क्षेत्रफल 418 वर्ग गज, वसीका नं. 4576, दिनांक 23/05/1996 और वसीका नंबर 17093, दिनांक 25/10/1999, हैबोवाल कलां, न्यू प्रेम नगर गली नं. 4, लुधियाना जिला लुधियाना, पंजाब में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मनिता लिखी पत्नी श्री विकास लिखी और श्री विकास लिखी पुत्र राजबीर लिखी के नाम पर है।	सांकेतिक कब्जा	रु. **1,40,97,000/-**	रु. **14,09,700/-**

- **धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि 09.02.2023 को अपॉ. 05.00 बजे तक या उससे पहले**
- **दिनांक 06.02.2023 को पूर्वा. 11:30 बजे से अपॉ. 3:30 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व नियुक्ति के साथ संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है**
- **नोटः क्रम सं. 1 और 2 की संपत्ति को एक साथ बेचा जाएगा।**
- **स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (संपत्ति कर, जल सीवरेज, बिजली बिल आदिः बैंक को ज्ञात नहीं)**

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृप्या केनरा बैंक की वेबसाईट **(https://www.canarabank.com)** में दिए लिंक "ई-नीलामी को देखें और सेवा प्रदाता की वेबसाईट : **https://indianbankseauction.com** या केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, एसएएम शाखा, सी-34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूलचंद अस्पताल के सामने, लाजपत नगर, नई दिल्ली - 110024, फोनः **011-79676467, 9653220988, 8979872232** पर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय घंटों के दौरान सम्पर्क कर सकते है।

दिनांक 05.01.2023,
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
केनरा बैंक

www.readwhere.com